राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001

ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषित,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / शासन / 2020–21 / 21 /

देहरादून, दिनांक– 29 अगस्त, 2020

विषय– अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत आउट डोर पेशेन्ट (OPD) चिकित्सकीय उपचार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या XXVVIII–3–2020–04/2008 दिनांक 04 / 05 / 2020 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आउट डोर पेशेन्ट चिकित्सा उपचार (OPD) की व्यवस्था लागू की गई है। शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार OPD की सुविधा प्राप्त करने एवं बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जाए:–

1. शासकीय कार्मिक / पेंशनर्स सूचीबद्ध अस्पतालों में आउट डोर पेशेन्ट (OPD) की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।
2. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा कार्मिकों / पेंशनर्स को CGHS की दरों पर परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सक द्वारा परामर्शित दवाओं का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
3. कार्मिक / पेंशनर्स चिकित्सा व्यय का भुगतान सूचीबद्ध अस्पताल में स्वयं करेंगे तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा अपने नियंत्रण अधिकारी / डी0डी0ओ0 के माध्यम से स्वीकृत कराकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
4. कार्मिकों / पेशनर्स द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों से कराये गये उपचार का अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तिथि एवं मोहर सहित अभिप्रमाणित किया जायेगा।
5. विशेष परिस्थितियों में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय अथवा अन्य OPD क्लीनिक में चिकित्सकों से कराये गये उपचार के अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण CGHS दरों पर जिला / उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान डी0डी0ओ0 के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा:–

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के लिए चैक लिस्टः–

i- निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। प्रपत्र में कार्मिकों का कर्मचारी कोड/पेंशनरों का जी0आर0डी0 नं0, आधार संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।

ii- समस्त मूल बिल वाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।

iii- समस्त/बिल वाउचर चिकित्सक द्वारा तिथि एवं मोहर सहित सत्यापित हो।

iv- चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं CGHS की दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुये सत्यापन किया जायेगा।

v- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (प्रारूप परिशिष्ट–1 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

vi- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।

vii- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की ही तिथियों के बिल वाउचर्स का भुगतान किया जायेगा।

viii- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र सूचीबद्ध चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक (गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय से उपचार की दशा में) द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

- प्रदेश के बाहर चिकित्सा उपचारः–

i- प्रदेश के बाहर OPD के लिए उपचार हेतु राजकीय कार्मिक एवं पेशनर्स तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत (जिसमें सम्पूर्ण देश के राजकीय/निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) उपचार कराया जा सकता है।

ii- प्रदेश के बाहर नई दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स व उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में OPD उपचार की दशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गयी, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (जिसमें सम्पूर्ण देश में चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) से उपचार करा सकते हैं। इस हेतु रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

शासनादेश में उल्लिखित उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार ओ0पी0डी0 (OPD) बिलों के भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित कार्यवाही उपरान्त, बिलों का भुगतान स्वीकार किया जायेगाः–

1. आहरण वितरण अधिकारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृति आदेश सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त तैयार कर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल (www.cts.uk.gov.in) पर अपलोड करेंगे एवं समस्त मूल प्रमाणपत्र/बीजक अन्य अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।
2. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का उल्लेख स्वीकृति आदेश में किया जायेगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदक कार्मिक/पेंशनर का शासनादेश में निर्धारित दरों पर कटौती करते हुए मासिक अंशदान नियमित रूप से जमा किया जा रहा है एवं आवेदक (कार्मिक/पेंशनर) का सम्बन्धित दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इससे पूर्व इस धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।
3. कार्मिकों/पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजक भुगतान हेतु प्रेषित करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि सम्बन्धित चिकित्सा दावे की पुष्टि सेवा अभिलेखों के आधार पर की गई है एवं कार्मिकों/पेंशनरों के आश्रित की आच्छादन प्रमाणिकता/पुष्टि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रचलित शासनादेश संख्या– XXVIII-3-2020-04/2008, दिनांक 04 मई 2020 के अनुपालन में पूर्ण की जायेगी।

4. आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक कार्मिक/पेंशनर का सम्बन्धित ओ0पी0डी0 (OPD) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों को माह में मात्र एक बार ऑनलाईन IFMS पोर्टल में अपलोड़ कर सकेंगे। स्वीकृत धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सीधे कार्मिक/पेंशनर के वेतन/पेंशन के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. किसी कार्मिक/पेंशनर का निर्धारित नियमित मासिक अंशदान जमा न होने की दशा में उसके ओ0पी0डी0 (OPD) प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अग्रसारित/अपलोड़ नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/शासन/2020–21/21/485(1) तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों को राज्य के समस्त आहरण वितरण अधिकारी, कोषाधिकारी आदि के उपयोग हेतु कोषागार के पोर्टल में अपलोड़ करने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।